

विषय सूची

अध्याय	विषय-वस्तु	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		v
	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-I	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
	परिचय	1.1 से 1.5	1-5
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.6 से 1.19	6-14
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल	1.20 से 1.25	14-19
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचालन दक्षता	1.26 से 1.28	20-24
अध्याय-II	सीएजी की निरीक्षण भूमिका		
	सांविधिक लेखापरीक्षको की नियुक्ति	2.1	25
	सांविधिक लेखापरीक्षा	2.2	25-26
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	2.3-2.4	26-27
	सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	2.5	28
	सीएजी की निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा	2.6-2.8	28-29
	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	2.9-2.14	30-42
अध्याय-III	निगमित अभिशासन		
	परिचय	3.1-3.4	43-44
	निदेशक मंडल की संरचना	3.5-3.6	44-47
	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्य कलाप	3.7-3.11	47-53
	निदेशक मंडल की बैठक	3.12	53-54
	लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियां	3.13-3.18	55-60
	सचेतक तंत्र	3.19	60-61
	आंतरिक लेखापरीक्षा का ढांचा	3.20-3.22	61-63
	अन्य प्रकरण	3.23	63-64
अध्याय-IV	निगमित सामाजिक दायित्व		
	परिचय	4.1-4.5	65-68

	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4.6	68
	नियोजन	4.7-4.10	68-71
	वित्तीय धटक	4.11-4.20	72-78
	परियोजना क्रियान्वयन	4.21-4.26	78-81
	निगरानी तंत्र	4.27	81
	प्रतिवेदन एवं प्रकटन	4.28	81-84
अध्याय-V	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियमों, 2013 की अनुपालना		
	परिचय	5.1-5.5	85-88
	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	5.6	88
	सामान्य प्रावधानों की अनुपालना	5.7-5.10	89-91
	विशिष्ट प्रावधान/नियमों की अनुपालना	5.11-5.19	92-99

अनुबंध

अनुबंध संख्या.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.1	राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया है, में बकाया अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	101-102
1.2	31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	103-104
1.3	राजकीय उपक्रमों के नवीनतम लेखों, जिनको 31 दिसम्बर 2020 को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	105-110
1.4	2000-01 से 2019-20 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश एवं निवेशित कोषों के वर्तमान मूल्य के विवरणों को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण-पत्र	111-113
2.1	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक ने एएस/इंड एएस की अनुपालना नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया, को दर्शानेवाला विवरण पत्र	114

2.2	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन अवधि के दौरान सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्र	115
2.3	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्हे प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	116- 117
3.1	स्वतंत्र/महिला निदेशक/लेखापरीक्षा समिति/एनआरसी/केएमपी की आवश्यकता एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित बोर्ड की बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण पत्र	118- 120
3.2	आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा	121- 122
4.1	राजकीय उपक्रम, जिन्हे सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था एवं सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	123
5.1	आरटीपीपी अधिनियम/नियमों की सामान्य अनुपालना एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की संख्या तथा प्रापण के मूल्य को दर्शाने वाला विवरण पत्र	124- 126
संक्षेप की शब्दावली		127- 128

